भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1948

29.11.2019 को उत्तर के लिए

भारतीय वन अधिनियम, 1927

1948. श्री ए. गणेशमूर्ति:
डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारतीय वन अधिनियम, 1927 को संशोधित करने का विचार है;
(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि कई राज्यों में इस कारण से इसका विरोध हुआ था कि उक्त संशोधन के कारण जनजातियों और अन्य वनवासी समुदाय वनभूमि और संसाधनों के अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पायेंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में सभी राज्यों की राय ली है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में जनजातियों और वनवासी समुदायों की शिकायतों के समाधन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ङ.) आज की तारीख में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

****